P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गुटनिरपेक्षताः उद्देश्य, विशेषताएं एवं प्रासंगिकता

अग्निदेव
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

द्वितीय विश्व–युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिर्वतन लाने वाले तत्वों में 'गुटनिरपेक्षता' (Non-alignment) का विशेष महत्व है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोगमात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना था। गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि सम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करने लगे है। जहां 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहां आज निर्गुट आन्दोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है तथा आर्मेनिया, आजरबेजान, बोस्निया, हर्जेगोबिना, ब्राजील, चीन, कोस्टारिका, क्रोशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, यूक्रेन तथा उरूग्वे आदि देशों तथा 10 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को निरपेक्ष आन्दोलन मे पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के देशों की एक ऐसी नीति थी जिसके तहत् ये देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शीतयुद्ध के शक्ति गुटों की राजनीति से अलग रहना चाहते थे, यह शक्ति के संघर्ष व सैन्य सन्धियों से दूर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों तथा शांति, सुरक्षा आदि के खतरे की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करने वाली नीति थी।

मुख्य शब्द : द्वितीय विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध, नवोदित राष्ट्र, सोवियत गुट, पश्चिमी गुट, तीसरी दुनिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल ही बदल गया था, विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवयित संघ का वर्चस्व स्थापित हो गया, इन दोनों महाशक्तियों की वैचारिक प्रतिद्वंद्विता शीतयुद्ध की घटना के रूप में तब्दील हो गयी, ऐसी स्थिति में दोनों खेमों में वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गयी और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों को अपनें खेमें में शामिल करने के लिए दोनों महाशक्तियाँ प्रयासरत् थीं और अपने वैचारिक प्रभाव को बनाए रखना चाहती थी।

इस पूरे घटनाचक्र का प्रभाव तीसरी दुनिया के राष्ट्र के हितों पर पड़ रहा था, ये नवोदित राष्ट्र अपने हिसाब से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने एवं बनाए रखना चाहते थे परंतु शीतयुद्ध में दोनों महाशक्तियों के ध्रुवीकरण से लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका एवं एशिया आदि महाद्वीपों के नवोदित राष्ट्रों की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन व्यवस्था का ढाँचा तथा विकास आदि क्षेत्रों के भविष्य पर खतरा मंडराने की संभावना बढ़ने लगी थी, इस तरह के पूरे घटनाक्रम से उभरने के लिए तीसरी दुनिया के इन देशों को एक सख्त संगठन, आन्दोलन एवं नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो इन राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकें, साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान को बनाए रख सके।

अध्ययन का उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का मुद्दा आजकल बहुत अधिक चर्चित है इसलिए शोधकर्ता ने शोध हेतु इस विषय को चुनते हुए शोध के निम्न उद्देश्य बताये हैः–

1. गुटनिरपेक्षता का अर्थ एवं उसके उदय के कारणों को स्पष्ट करना।
2. भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का अध्ययन करना।
3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना।

4. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
5. गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों तथा विफलताओं की समीक्षा करना।
6. 21 वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
7. गुटनिरपेक्षता आंदोलन को और अधिक प्रांसगिक बनाने के लिए, इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करते हुए, उसके सार्थक समाधान हेतु सुझाव देना।

अध्ययन पद्धति

शोध विषय 'गुटनिरपेक्षताः उद्देश्य, विशेषताएं और प्रासंगिकता' की प्रकृति व्यावहारिक की अपेक्षा सैद्धान्तिक अधिक है इसलिए शोधकर्ता ने शोध सामग्री का संकलन करते समय प्राथमिक स्रोतों की अपेक्षा द्वितीयक स्रोतों से सामग्री अधिक संग्रहित की है। द्वितीयक आंकडे एकत्रित करने के लिए इस विषय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई रचनाओं, समाचार पत्रों तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों से सामग्री ली गई है।

सहित्यावलोकन

पुष्पेश पंत और श्रीपाल जैन ने अपनी रचना 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध' (2006) में लिखा है कि आज भूमण्डलीकरण, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दें बहुत तेजी से उभरे है पारमाण्विक अप्रसार और आतंकवाद की चुनौती बरकरार है पर कुछ परिवर्तन ऐसे हुए है जिन्होंने विश्व की राजनैतिक सरंचना को ही बदल दिया है सोवियत संघ के विघटन की तुलना अमेरिका महाशक्ति से नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र अनिश्चय और संशय की स्थिति है कुछ परिवर्तन आशाजनक भी है। जैसे– दक्षिणी अफ्रीका में नस्लवाद की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना। कुल मिलाकर इस बात को नजरअंदाज करना कठिन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व गुटनिरपेक्षता का अवमुल्यन हुआ है और अफ्रीकी–एशियाई एकता नाममात्र को ही शेष रही। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी भारत के एवं भारत जैसे देशों के राजनयिक विकल्प घटे ही है, बढ़े नहीं ।

बी.एम. जैन ने अपनी पुस्तक 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध (2014) में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों के विकास एवं शीतयुद्धोत्तर वैश्वीकरण एवं क्षेत्रीयकरण की अवधारणाओं का विस्तार से निवेचन करते हुए इससे सम्बन्धित नवीन प्रतिमानों का गहनतम विश्लेषण प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तुत पुस्तक में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की पुनर्भाषित भूमिका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता, यूरोप का बदलता स्वरूप एवं क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों जैसे– यूरोपीय संघ, नाफ्टा तथा आसियान के बढ़ते प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

राजीव सीकरी ने अपनी रचना 'भारत की विदेश नीतिः चुनौती और रणनीति' (2017) में भारत की समसामयिक विदेश नीति और उसके सामने मुँह बाये खड़ी प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए, भारतीय विदेश नीति के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां से निपटने की रणनीति भी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भारत को पडोसी देशों से संबंध सुधारने, ऊर्जा रक्षा, आर्थिक कूटनीति की रणनीति अपनाने की बात कही है।

सुमित गांगुली द्वारा सम्पादित रचना 'भारत की विदेश नीतिः पुनरावलोकन एवं संभावनाएं (2018) सन् 1947 से 2010 तक भारत की विदेश नीति का विवरण प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत पुस्तक में भारत के सम्बंधों को स्पष्ट रूप से व्यावहारिक पद्वति से लिया गया है।

जे.एन. दीक्षित एवं रहीस सिंह ने अपनी रचना 'भारतीय विदेश नीति' (2018) में भारतीय विदेश नीति के विविध पक्षों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। भारत–पाक युद्ध, (1948,1965,1971) संयुक्त राष्ट्र का संदेहास्पद रवैया तथा कश्मीर का मुददा, भारत–चीन युद्ध (1962), अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा (1979), सोवियत संघ का विघटन (1990), खाडी युद्ध (1991) तथा अमेरिका, सोवियत संघ, चीन एवं पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बंधों का आलोचनामक मूल्यांकन किया गया है।

गुटनिरपेक्षता का अर्थ

'गुटनिरपेक्षता' शब्द जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं हैं और न यह सबसे सन्तोषजनक शब्द ही है यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था ओर वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द में प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि है। गुटनिरपेक्षता को 'अप्रतिबद्धता', 'असम्पृक्तता', 'तटस्थता', 'सकारात्मक तटस्थता', 'तटस्थतावाद', 'गतिशील तटस्थता','स्वतन्त्र और सक्रिय नीति' और शान्तिपूर्ण सक्रिय सह–अस्तित्व' भी कहा जाता है। जॉर्ज श्वार्जनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे सम्बन्धित छः अर्थो की व्याख्या की और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है ये छः धाराणाएं है – अलगाववाद अप्रतिबद्वता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता।

अलगावाद

ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे।

अप्रतिबद्वता

इसका अभिप्राय है किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान सम्बन्ध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्व न होना।

तटस्थता

एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती।

तटस्थीकरण

अर्थात् देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति .को कभी नहीं छोड सकता है। स्विट्जरलैण्ड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

एकपक्षवाद

इस सिद्धान्त का अर्थ है कि प्रत्येक देश को निःशस्त्रीकरण जैसे आदर्शो का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते या नहीं।

असंलग्नता

यह विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए।

जॉर्ज श्वार्जनबर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः यह मैत्री सन्धियों अथवा गुटों से बाहर रहने कि नीति है गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों ओर अभिवृत्तियों के सन्दर्भ में, नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतन्त्रता बनाए रखी जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व ओर सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्व हों या गुटनिरपेक्ष हो।

शीतयुद्ध से पृथक्करण ही गुटनिरपेक्षता का सार तत्व है यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढ़ग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। सन् 1961 में गुटनिरपेक्षता के तीन कर्णधारों– नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके पांच आधार स्वीकार किए थे। – (1) सदस्य देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो; (2) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो; (3) सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो; (4) सदस्य देश ने किसी बडी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो; (5) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। अर्थात् वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों। दूसरे शब्दों में, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शान्ति समर्थक देश की गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते है।

संक्षेप में, गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय हैं, अपनी स्वतन्त्र रीति–नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य, अनौचित्य को देखा जा सकता हैं। किसी एक गुट के साथ सम्बद्व होकर उचित अनुचित का विचार किये बिना ही अंधानुकरण या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है।

गुटनिरपेक्षता का उदय

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों (सोवियत गुट और अमेरीकी गुट) में विभक्त हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतन्त्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरीकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह– तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबन्दी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरीकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आपको किसी 'वाद' के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश 'तीसरी शक्ति' हो सकते है जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल सन्तुलन में परिणत करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात् गुटनिरपेक्षवाद एशिया के नव–जागरण की प्रमुख विशेषता थी। सन् 1947 में स्वतन्त्र होने के उपरान्त भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू किया; उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे–जैसे अफ्रीका के देश स्वतन्त्र होते गए, वैसे–वैसे उन्होनें भी इस नीति का अवलम्बन करना शुरू कर किया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्त्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने 'तीसरी शक्ति' की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यो को निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है

1. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् नवोदित तीसरी दुनिया अर्थात् एशिया, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप के नवोदित राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
2. विश्व शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, सुरक्षा के लिए निंरतर प्रयास करने की तटस्थता इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध की भूमिका पर नियत्रण रखना।
3. स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए गुटों की राजनीति से दूर रहना।
   शीतयुद्ध का विरोध करते हुए आपस में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देना।
4. सभी सदस्य देशों (साम्यवादी व गैर साम्यवादी) तथा दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था वाले देशों में मित्रता का भाव रखते हुए विकास के लिए सहयोग करना।
5. साम्राज्यवाद–उपनिवेशवाद का विरोध तथा स्वंतत्रता के लिए प्रयासरत् देशों के आंदोलन को समर्थन देना।
6. तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र रीति–नीति पर चलने के लिए प्रेरित करना।
7. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए घातक हथियारों का विरोध करते हुए निःशस्त्रीकरण को व शस्त्र नियंत्रण को बढ़ावा देने की नीति अपनाना।
8. जातिवाद, रंगभेद, क्षेत्रियता आदि के आधार पर हो रहे भेद – भाव का विरोध करना।
9. वर्चस्व/प्रभाव की भावना पर आधारित द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्था के सिद्धान्तों पर आधारित नई विश्व–व्यवस्था की स्थापना करना।
10. सयुंक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और प्रभाव में मजबूती लाने के लिए सहयोग देना।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उपलब्धियां

गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब एक अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है। प्रति तीन वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन होता रहता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन सन् 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था वही इसके 2016 में वेनेजुएला में हुये 17 वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्य देशों के अलावा 17 पर्यवेक्षक देश तथा 10 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। सदस्य देशों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ–साथ इस आन्दोलन के कार्यक्षेत्र या कार्यक्रमों का भी विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, हरारे (1986) शिखर सम्मेलन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया था। 1989 में बेलग्रेड में दूसरी बार आयोजित शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व भर में बढ़ती चिन्ता विशेष विचारणीय विषय रहा और ओजोन परत, परमाणु छीजन, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना और इसके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव, आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया था। संक्षेप में, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता

प्रारम्भ में गुटनिरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुटनिरपेक्षता क्या है, कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में इसे एक स्वतन्त्र और नयी संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलायी जाए? शुरू में दोनों गुटों ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया – पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक। सच बात यह है कि कुछ गुटनिरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षो तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतन्त्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोतर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है और यह कि वह उनमें से किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाए। उनका पक्का विश्वास था कि गुटनिरपेक्षता एक ढोंग है, कोई 'तीसरा रास्ता' तो है ही नहीं। फलतः दोनों ही गुट यह समझते थे कि जो भी देश गुटनिरपेक्ष है वह वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है।

दोनों गुटों के इन दृष्टिकोणों में धीरे–धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी राष्ट्रों का दृष्टिकोण 1953 मे जोससेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही बदलना शुरू हो गया। फरवरी 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस ने न केवल पहली बार यह बात स्वीकार की कि गुटनिरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र हैं, बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के 'एक–से विचार है। पश्चिमी गुट ने तो सातवें दशक में जाकर गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। गुटनिरपेक्ष देशों को गुटबद्ध देशों के मन का संशय दूर करने तथा इस नीति के प्रति ससद्भावना और सम्मान का वातावरण पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली वह सचमुच सराहनीय है।

विश्व को खेमेबन्दी के चंगुल से बचाना

गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों ने महाशक्तियों की खेमेबन्दी की राजनीति में सम्मिलित होने से मना कर दिया। उन्होंने अमरीकी ओर सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय साँचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने 'समाज के समाजवादी ढाँचे' को अपनाया और अरब राष्ट्रों ने 'अरब समाजवाद' को। यह बात राजनीतिक संस्थाओं, शासन और प्रशासन प्रणालियों के संदर्भ में लागू होती है। इस प्रकार गुट निरपेक्ष देश महाशक्तियों की खेमेबन्दी से बाहर निकल आये और उन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित होकर खेमेबाजी की राजनीति पर पानी फेर दिया। अतः विश्व के अधिकांश देश महाशक्तियों की खेमेबन्दी के चंगुल से बच गये।

अफ्रो–एशियाई, लातीनी अमरीकी और केरिबियायी देशों को स्वतन्त्रता मिलना

1961 के बेलग्रेड सम्मेलन द्वारा गुट निरपेक्षता की निर्धारित परिभाषा के अन्तर्गत साफ लिखा गया है कि इस नीति का पालन करने वाला हर राष्ट्र अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमरीका और केरिबियायी क्षेत्रों में औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय संग्रामों का समर्थन करेगा। गुट निरपेक्ष देशों ने एकजुट होकर हर एक मंच से इन देशों में चल रहे मुक्ति संग्रामों का समर्थन किया। इससे उन्हें आजादी मिलने में काफी आसानी रही, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ विश्व के इतने बड़े समुदाय की आलोचना एवं तिरस्कार का शिकार लम्बे समय तक नहीं रहना चाहती थीं।

विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक

गुट निरपेक्ष देशों का हमेशा यही प्रयास रहा है कि राष्ट्र आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण समाधानों के द्वारा हल करें, युद्ध से नहीं। इसके लिए उन्होंने समय–समय पर अनेक संकटों के दौरान युद्धरत राष्ट्रों पर नैतिक दबाव डालकर यह समझाने बुझाने की कोशिश की कि वे शान्तिपूर्ण तरीकों से विवादों का समाधान ढूंढें। विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की हरेक कार्यवाही को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका सदैव भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार, गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ।

राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतन्त्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन

गुट निरपेक्ष नीति का जन्म ही महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों को उनके अधीनस्थ बनाने की नीति के विरुद्ध हुआ था। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वह महाशक्तियों द्वारा राजनीतिक दबावों से जुड़ी आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। वे किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट पर दबावमुक्त होकर अपना विचार व्यक्त करेंगे। इस प्रकार उन्होंने छोटे राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना की रक्षा एवं स्वतन्त्रत विदेश नीति निर्माण को पूरा प्रोत्साहन दिया।

साम्राज्यवाद, उपनिवेषवाद, नव–उपनिवेषवाद एवं रंगभेद की समाप्ति

गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने हमेशा ही बड़ी शक्तियों की साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी एवं रंगभेद की नीति का घोर विरोध किया। इससे वह विश्व में बड़ी शक्तियों की साजिश जनमत बनाने में सफल रहा। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में बड़ी शक्तियों की उक्त चाल काफी हद तक नाकाम रही।

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर आवाज उठाना

गुट निरपेक्ष देशों ने अपने उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए केवल अपने ही मंच से नहीं, बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का भी उपयोग किया। मसलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र–मण्डल, अफ्रीकी एकता संगठन, 'अंकटाड', समुद्री कानून सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर एकजुट आवाज उठाकर अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफलता अर्जित की।

तीसरी दुनिया में आपसी सहयोग कर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करना

गुट निरपेक्ष देशों ने धीरे–धीरे चहुँमुखी क्षेत्रों में आपसी सहयोग करने का रास्ता अपनाया। नई विश्व अर्थव्यवस्था, नई समाचार व्यवस्था, तेल का उचित दामों पर उपलब्ध होना आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक आपसी सहयोग कर उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मार्ग प्रषस्त किया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास के लिए बड़ी शक्तियों पर निर्भरता घटेगी और वे आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होंगे।

सदस्य संख्या में अपार वृद्धि

जब भारत, युगोस्लाविया और मिस्र ने पहल कर गुट निरपेक्ष नीति अपनाना आरम्भ किया तो शीघ्र ही इण्डोनेशिया, श्रीलंका, कम्पुचिया ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद धीरे–धीरे कई देश गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। जहाँ गुट निरपेक्ष देशों के पहले शिखर सम्मेलन में 25 पूर्ण देशों ने भाग लिया वही 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्य देशों ने भाग लिया है। इन शिखर सम्मेलनों में पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के अलावा अनेक देशों को पर्यवेक्षक के रूप में, अनेक राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षक एवं अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की संख्यात्मक शक्ति में विस्तार होता गया।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन की असफलताएँ

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इस ऐतिहासिक विश्लेषण से कदापि यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव सफलताएँ ही अर्जित की हैं, असफलताएँ नहीं। वस्तुतः गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आषातीत रूप से सफल नहीं हो पाया है। इन असफलताओं को निम्नांकित रूप में दिया जा सकता है–

महाशक्तियों की खेमेबन्दी का प्रवेश

आरम्भ में तो गुट निरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों की खेमेबन्दी का डटकर विरोध किया, किन्तु धीरे–धीरे उनका उत्साह ढीला पड़ता गया। इससे महाशक्तियों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर खेमेबन्दी को प्रवेष करवाने का अवसर मिल गया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि स्वयं गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर कुछ सदस्य राष्ट्र ऐसे है जो इस आन्दोलन की कार्यवाही के समय किसी न किसी महाशक्ति की नीति का पक्ष लेते है। मसलन, केरिबियायी क्षेत्र या क्यूबा, जिसने सितम्बर, 1979 में हवाना में हुए शिखर सम्मेलन में सोवियत संघ को गुट निरपेक्ष देशों का 'स्वाभाविक मित्र' स्वीकार करने की वकालत की। दूसरी तरफ दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में 'आसियान' नामक क्षेत्रीय संगठन के देश अमरीका का पक्ष लेते रहे हैं। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर महाशक्तियों की खेमेबन्दी के प्रवेश को असफल्ता ही माना जा सकता है।

सैन्य संगठनों एवं सन्धियों से जुड़े राष्ट्रों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश

1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि जो राष्ट्र महाशक्तियों द्वारा प्रवर्तित सैन्य संगठनों एवं सन्धियों से जुड़े रहेंगे, उन्हें गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सदस्यता नहीं दी जायेगी। परन्तु आगे चलकर इस निर्णय का उल्लंघन किया गया। मसलन, अगस्त, 1976 में कोलम्बो में गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें पुर्तगाल, फिलीपींस और रूमानिया को अतिथि के रूप में भाग लेने की अनुमति मिली। ये देश किसी न किसी तरह सैन्य–सन्धियों से जुड़े रहे हैं, फिर भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के पिछले दरवाजे से उन्हें प्रवेष दिया गया। अर्थात् पर्यवेक्षक के रूप में आमन्त्रित कर उनके द्वारा सदस्यता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की शुद्धि कायम रखने के दृष्टिकोण से इसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।

गुट निरपेक्ष देशों द्वारा आपसी समस्याओं में ही वक्त बर्बाद करना

असल में, गुट निरपेक्ष देशों ने बाहरी विश्व की गम्भीर चुनौतियों से जूझने पर पर्याप्त ध्यान न देकर आपसी समस्याओं में ही वक्त बर्बाद किया है। मसलन, सितम्बर, 1979 में गुट निरपेक्ष देशों के छठे शिखर सम्मेलन का उदाहरण ही लें। इसमें मिस्र को गुट निरपेक्ष आन्दोलन से बाहर निकालने, कम्पुचिया में पोल पोट या हेंग सामरिन में से अगली सरकार किसे माना जाये आदि आपसी खींचतान सारे शिखर सम्मेलन पर छायी रही। परिणामस्वरूप वे उनकी आम समस्याओं जैसे तेल, नई समाचार व्यवस्था, नई विश्व अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा के उचित एवं समान दोहन आदि समस्याओं के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा सके।

राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों को भौतिक समर्थन नहीं

हालांकि आरम्भ से सभी गुट निरपेक्ष देशों ने अफ्रो–एशियाई, लातीनी अमरीका एवं केरेबियाई क्षेत्रों में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है, लेकिन भौतिक समर्थन के अभाव में अनेक देशों को आजादी प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे लम्बे संघर्ष के बाद स्वतन्त्र हो सके। आज भी दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यक कालों के समर्थन की गुट निरपेक्ष देश स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं, किन्तु भौतिक समर्थन के अभाव में उन्हें सत्ता अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए 1979 में जाम्बिया के प्रधानमन्त्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यहाँ की सरकार को भौतिक समर्थन देने की अपील की थी।

मौखिक एवं लिखित घोषणाएँ ज्यादा और व्यवहारिक काम कम

समय–समय पर गुट निरपेक्ष देश विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की अनेक लम्बी–चौड़ी आदर्शवादी घोषणाएँ करते रहे हैं। यह ठीक है, किन्तु उनकी प्राप्ति के लिए ठोस एवं व्यवहारिक कदम उठाने भी उतने ही जरूरी हैं। मसलन, नई समाचार व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने आपसी सहयोग से 'न्यूज पूल' की स्थापना की घोषणा तो कर दी, किन्तु उसकी स्थापना के बाद उस 'न्यूज पूल' से रिलीज होने वाली खबरों को खरीदने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने पीठ दिखा दी। इस प्रकार घोषणाएँ तो वे अनेक कर देते हैं, किन्तु ठोस एवं व्यवहारिक काम की बात आने पर हिचकिचाने लगते हैं

गुट निरपेक्षता की अनेक किस्मे पैदा हो जाना

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य राष्ट्रों में भी अनेक प्रकार की गुट निरपेक्षता की किस्में पैदा हो गयी हैं। इस पर एक विद्वान ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'इससे गुटबद्धता की तरह गुट निरपेक्षता की कोई अखण्ड–एकान्वित सत्ता नहीं रह गयी है।' मसलन, बर्मा ने गुट निरपेक्षता के बजाय महाशक्तियों एवं बड़ी शक्तियों से दूर रहकर अलगाववाद की नीति का पालन किया है। कुछ राष्ट्रों ने महाशक्तियों के साथ मैत्री एवं सहयोग–सन्धि के नाम पर सैनिक व्यवस्थाओं वाली सन्धियाँ कर दीं। भारत और मिस्र ने सोवियत संघ के साथ ऐसी सन्धियाँ कीं, जबकि कई गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया। इन अनेक किस्मों के उत्पन्न होने को गुट निरपेक्ष आन्दोलन की असफलता ही माना जायेगा।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता –

1990 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आये बदलाव ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के प्रश्न को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया, शीत युद्ध का अन्त, सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद, वारसा पैक्ट का भंग होना, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आदि घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण था शीतयुद्ध का अंत। शीतयुद्ध ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रहा, इसीलिए शीतयुद्ध के अंत के साथ ही गुटनिपेक्ष आंदोलन से जुडे समर्थकों, बुद्धिजीवियों एवं आलोचकों के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का मुद्दा बेहद चर्चा का विषय रहा है, जो लोग इसके विरोध में थे उनका मानना था कि अब शीतयुद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस आन्दोलन के पक्ष में थे उनका कहना था कि भले ही शीतयुद्ध समाप्त हो चुका हो, परन्तु तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आन्तरिक अशांति आदि जेसी प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं, इनका समाधान भविष्य में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से ही संभव है, इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यथावत् रहने दिया जाए, यह आंदोलन जैसे–जैसे आगे बढ़ा इसके सम्मुख कई चुनौतियाँ आयीं।

21 वीं सदी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य राष्ट्रों के सामने अनेक चुनौतियाँ आयीं हैं, भारत पर पाकिस्तान द्वारा थोपा गया कारगिल युद्ध, आंतरिक सुरक्षा के मामले में आंतकवादी हमला अथवा भारत–पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मुद्दे आदि मोर्चों पर भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आषाजनक परिणाम नहीं मिला, यही कारण रहा है कि वेनेजुएला में हुए इस आंदोलन के 17 वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग नहीं लिया, प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भेजा, शायद मोदी को लग रहा है कि भारत की विदेश नीति के तहत् राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई अहम् आवश्यकता नहीं है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगकिता को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जो भी दृष्टिकोण रहा हो, परन्तु इस आंदोलन से अधिकांश राष्ट्रों की बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं संप्रभुता आदि खतरे में है, आर्थिक विकास के मोर्चे पर भी ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के मुकाबले काफी पीछे है, एशिया एवं अफ्रीका के देश इस आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से हैं, परन्तु आज यदि वैश्विक स्तर पर शांति एवं सुरक्षा के परिदृश्य को देखा जाए तो सबसे ज्यादा असुरक्षित इन्हीं महाद्वीप के अंतर्गत विभिन्न देशों में रहने वाले नागरिक हैं, इस्लामी स्टेट बनाने के नाम पर सीरिया–ईराक का गृह युद्ध, पाकिस्तान–अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा किए जाने वाले नरसंहार जैसी घटनाएँ हैं, जो 21वीं सदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। 17–18 सितम्बर, 2016 को वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 17वें शिखर सम्मेलन में पुनः एक बार इस आंदोलन की प्रासंगिकता पर कई राष्ट्रों के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं।

भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता –

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता को लेकर समय–समय पर अनेक तर्क दिए जाते हैं, परन्तु भारत के कुछ ऐसे राष्ट्रीय हित हैं जिन्हें इस संगठन के सदस्य होने के बावजूद ही प्राप्त किया जा सकता हैं, इसलिए कुछ हद तक भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी भारत के लिए इसकी सार्थकता निम्न कारणों से आवश्यक हैं :–

1. भारत वर्तमान समय में जिस तरह की विदेश नीति अपना रहा हैं, उसको देखते हुए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है, यह संगठन तो हमारे ही वृहद् विश्व के सपने का हिस्सा है ऐसा हो सकता है कि आज की विदेश नीति की व्यस्तता को देखते हुए भले ही इस संगठन की सदस्यता हमें अर्थपूर्ण न लगे, परन्तु इस परिवर्तनशील दौर में विश्व समुदाय को साथ लेकर चलना ही दूदर्शिता हैं।
2. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत् हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का समर्थन भारत के इस मौके को वजनदार बनाएगा।
3. भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सहित अन्य राष्ट्रों के विरूद्ध आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो समर्थन जुटाना चाह रहा है, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच एक प्रमुख मोर्चा बन सकता है।
4. वैश्वीकरण के आर्थिक मंच पर विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक हितों को लेकर जो टकराव उत्पन्न होता है, उसमें इस संगठन की निर्णायक भूमिका है, सदैव तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संघर्ष इसी संगठन के नेतृत्व में किया हैं।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत् राष्ट्रों के लिए अनेक मायनों में महत्वपूर्ण होगा, इस पूरे प्रकरण में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे तथा इससे विकासशील राष्ट्रों के हितों को हानि पहुँचेगी। तीसरी दुनिया एवं विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों को नियोजित करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है :–

1. दक्षिण–दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है।
2. आण्विक निःशस्त्रीकरण हेतु दबाव बनाने के लिए।
3. तीसरी दुनिया एवं विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
4. एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अर्थात् अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करने के लिए।
5. विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के बीच कई अहम् मुद्दों पर सार्थक संवाद हेतु दबाव बनाने का मंच बन सकता है।
6. संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील राष्ट्रों के हितों को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाने का काम कर सकता है।

21वीं शताब्दी में विकासशील एवं सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में इस संगठन की सार्थकता एवं निरर्थकता का आकलन किया जाए तो समय के साथ–साथ इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में बड़ा बदलाव आ रहा हैं, शीतयुद्ध के साये में जन्म लेने के बाद यह आंदोलन तीसरी दुनियां के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत् रहा, परन्तु उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसे नाटो, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र आदि संगठन हुए, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किसी विचारधारा विशेष को लेकर नहीं हुआ था, यह मात्र दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात् नवोदित विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक मंच था, इसके पास कार्यवाही के लिए कोई सेना भी नहीं है और न ही आर्थिक मंदी जैसे गंभीर संकट से निपटने के लिए कोई वित्तीय कोष है, इसलिए हर बार आर्थिक मदद् के लिए विश्व बैंक, मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की तरफ मुँह ताकना पड़ता है, जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े सदस्य देश आर्थिक रूप से धीरे–धीरे समृद्ध होते जा रहे हैं, सदस्य राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद भी कहीं–न–कहीं इस आंदोलन की सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा रही है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सफल बनाने हेतु सुझाव

शोधकर्त्ता द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ओर अधिक सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये गये हैः–

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना एक स्थायी संगठन बनाना चाहिए और एक स्थायी मुख्यालय भी होना चाहिए, ताकि यह संगठन हमेशा कार्यरत रहे।
2. गुटनिरपेक्ष देशों को आपसी सहयोग से इस संगठन की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, ताकि यह आंदोलन बाह्य सहायता पर निर्भर नहीं रहे।
3. गुटनिरपेक्ष देशों को एकता में रहना चाहिए तथा विश्व में होने वाले समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के एक विरूद्ध साथ संघर्ष करना चाहिए, तभी इस आंदोलन की सार्थकता सिद्ध होगी।
4. गुटनिरपेक्ष देशों की कोई एक विचारधारा नहीं है इसलिए इनमें एकता नहीं रहती। अतः सभी गुटनिरपेक्ष देशों को लोकतांत्रिक विचारधारा अपनानी चाहिए।
5. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को सम्मेलनों में मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाने चाहिए।
6. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन सही समय पर होते रहने चाहिए तथा सम्मेलनों में सभी सदस्य राष्ट्रों को भाग लेना चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि अपनी अनेक सीमाओं, कठिनाइयों के कारण गुट निरपेक्ष

आंदोलन की व्यावहारिक दृष्टि से अनेक आलोचनाएं करते हुए, इस आंदोलन को अप्रांसगिक ठहराने का प्रयत्न किया जाता रहा है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी गतिशीलता, सक्रियता के कारण अपनी सीमाओं के चलते शीतयुद्ध की समाप्ति तथा साम्यवादी गुट के बिखराव या अवसान के बाद भी अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है जिसका सबसे बड़ा प्रमाण लगातार बढ़ती इसकी सदस्य संख्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता आज भी एक ऐसे मंच के रुप में बची हुई है जहाँ विकासशील राष्ट्र अपने राजनय में एकता की शक्ति झलका सकते है। चाहे वह दक्षिण–दक्षिण संवाद, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा हो। यह आंदोलन विकासशील देशों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

.पंत, पुष्पेश, एवं जैन श्रीपाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधः सिद्धांत और व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2006

जैन, बी.एम., अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2014

सीकरी, राजीव, 'भारत की विदेश नीति : चुनौती और रणनीति, सागे पब्लिकेशन प्रा. लि. दिल्ली, 2017

गांगुली, सुमित, भारत की विदेश नीति : पुनरावलोकन एवं संभावनाएँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 2018

दीक्षित जे. एन. एवं सिंह, रहीस, भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली,
2018